



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2011/फाल्गुन 27, 1932

No. 482]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2011/PHALGUNA 27, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

तालिका

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

का.आ. 596(अ).—यतः मै. इंडस जीन एक्सप्रेसॉस लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने आन्ध्रा प्रदेश राज्य में ग्राम कोडूर एवं सेट्टेपल्ली, मंडल चिलामाथुर, जिला अनंतपुर में जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 14 फरवरी, 2011 को अनुमोदन-पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	कोडूर	178	7.37
2.	सेट्टेपल्ली	65	3.16
कुल			10.53
			हेक्टेयर

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव,
भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त
विदेश व्यापार महानिदेशक
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त
आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन
क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त

